# उल्हासनगर महानगरपालिका
## ULHASNAGAR MUNICIPAL CORPORATION
### मालमत्ता कर विभाग

Head Office Ground Floor, Ulhasnagar 421 003 dist. Thane, Maharashtra

## (मिळकत कर आकारणी विशेष नोटीस)

(महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम चे कलम [illegible] तसेच अधिनियमाचे अनुसूची ड चे प्रकरण ८ (करआकारणे नियम) मधील नियम [illegible] व नियम [illegible] अन्वये)

क्र. क. [illegible] 135 दि. [illegible]

प्रति,
MANGADAS D
RATNA LILARAM TOLANI
मालमत्ता क. 14A015605300 जुना मालमत्ता क. UPIC 362

आपणास कळविण्यात येते की, युनिट क्र. 2 मधील वार्ड क्र. 14 येथील BKNO-52, ROOM NO-17, NEAR ANIL GULABJAMUN, ULHASNAGAR-1 धारिकरणी बांधकामात वसत. निवासास आणे असून त्याअनुषंगाने दि. 01/04/2022 To 31/03/2023 या मुदतीत कर आकारणी करणेसाठी मालमत्तेचे वार्षिक करयोग्य मूल्य 5202 निश्चित केले आहे. सदर करयोग्य मूल्य व त्यानुसार वर नमूद केलेल्या कालावधीसाठी देयी वर्ष कर

| बांधकाम प्रकार | वापराचा प्रकार | चटई क्षेत्रफळ | करनिर्धारण वर्ष | करयोग्य मूल्य |
|---|---|---|---|---|
| RCC | Resi | 329.89 | 01/04/2022 | 5202 |
| | | 329.89 | | 5202 |

### कराचे तपशील

| अ. क्र. | कराचे प्रकार | कराचे दर | एकूण रक्कम |
|---|---|---|---|
| (१) | सर्व साधारण कर | 28% | 1457 |
| (२) | महानगरपालिका शिक्षण कर | 5% | 260 |
| (३) | मलप्रवाह कर | 7% | 364 |
| (४) | पथ कर | 8% | 416 |
| (५) | वृक्ष कर | 0.5% | 26 |
| (६) | पाणीपुरवठा लाभ कर | 5% | 260 |
| (७) | मलप्रवाह सुविधा लाभ कर | 3% | 156 |
| (८) | शासकीय शिक्षण कर | Residential - 5% Non-Residential - 0% | 260 |
| (९) | शासकीय रोजगार हमी कर | 3% | 0 |
| (१०) | मोठ्या निवासी जागेवरील कर | 10% | 520 |
| (११) | पाणी पट्टी (प्रति महिना) | 150 per month | 1800 |
| (१२) | विशेष साफ सफाई कर | 10% | 0 |
| (१३) | अग्निशमन सेवा कर | 2% | 104 |
| (१४) | उपयोगकर्ता शुल्क | | 695 |
| (१५) | अनाधिकृत बांधकाम शास्ती | | 0 |
| | | | 6318 |

वरील कर आकारणी बाबतची तपशीलवार माहिती कार्यालयीन कामाचे दिवशी मुख्य कार्यालयातील कर वसुली विभागात मिळेल. तरी या कर आकारणी संबंधी तुमची काही तक्रार असल्यास ती ही नोटीस मिळाल्यापासून २१ दिवसाचे आत उप-आयुक्त (कर), महानगरपालिका कार्यालय, उल्हासनगर यांचेकडे योग्य त्या कारणास्तव व पुराव्यासह लेखी स्वरुपात दाखल करावी. मुदतीत हरकत न घेतल्यास वरील प्रमाणे निश्चित केलेले करयोग्य मूल्य व कर आकारणी कायम करण्यात येईल याची नोंद घ्यावी.

तसेच जागेच्या मालकी हक्काबाबत वाद उपस्थित झाल्यास त्याचे निराकरण आपणास करावे लागेल.

रत्ना लीलाराम तोलानी 7722983050 Ratna

उप-आयुक्त (कर)
उल्हासनगर महानगरपालिका

(अनधिकृत बांधकामास कर आकारणी केल्यास अथवा कर भरल्याने बांधकाम अधिकृत होत नाही. कर आकारणी अथवा कर भरल्याने कोर्टातील कामकाजास व निकालावर कार्यवाही करण्यास बाधा येणार नाही याची नोंद घ्यावी.)